



राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार भवन, ब्लॉक -सी, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए.,
नई दिल्ली-110023

महात्मा गांधी द्विवार्षिक हिन्दी लेखन पुरस्कार योजना (2016-17) की अंतिम तिथि में परिवर्तन के संबंध में सूचना

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा मानव अधिकारों संबंधी विभिन्न विषयों पर हिंदी में सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "मानव अधिकारों पर महात्मा गांधी द्विवार्षिक हिन्दी लेखन पुरस्कार योजना" के अंतर्गत हिंदी में लिखी गई या हिंदी में अनूदित पुस्तकें/पांडुलिपियाँ आमंत्रित की जाती हैं। प्रत्येक पुस्तक/पांडुलिपि में शब्दों की संख्या कम से कम 30,000 निश्चित की गई है। प्रविष्टियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2018 से बढ़ाकर 30 जून, 2018 कर दी गई है।

इस योजना के अंतर्गत मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई पुस्तकों/पांडुलिपियों के लिए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार क्रमशः ₹ 75,000/-, ₹ 50,000/- और ₹ 40,000/- का तथा हिन्दी में अनूदित पुस्तकों/पांडुलिपियों के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार क्रमशः ₹ 50,000/-, ₹ 40,000/- और ₹ 30,000/- का दिया जाएगा।

पुरस्कार योजना की नियमावली तथा आवेदन पत्र सहायक निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक -सी, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 से डाक द्वारा निःशुल्क मंगवाया जा सकता है अथवा इसे आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।